

प्रेस नोट दिनांक- 11.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

1- थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

-पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,

-01 अभियुक्त को दुष्कर्म, धमकी व आईटी एक्ट के अभियोग में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गाजी का बाग नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के साथ आरोपीगणों द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, वीडियो वायरल करने व धमकी देने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर अन्तर्गत धारा 70, 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम 01 अभियुक्त नामजद व 01 अभियुक्त अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना फतनपुर राकेश कुमार राय मय हमराह का० अभिषेक सिंह, का० विवेक यादव, का० रामप्रताप यादव, म० का० करिश्मा सरोज द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70, 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त कुलदीप यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम पूरनपुर पठखान पो० महेरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के गाजी का बाग नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कुलदीप यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम पूरनपुर पठखान पो० महेरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय मय हमराह का० अभिषेक सिंह, का० विवेक यादव, का० रामप्रताप यादव, म० का० करिश्मा सरोज थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

2- थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

-एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगातार है जारी

- गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

-थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरेधनऊ बाजार चौराहे के पास से 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़-

दिनांक 03.04.2024 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंहगू का पूरवा कुशाहिलडिह निवासिनी वादिनी की पुत्री के साथ आरोपीगणों द्वारा धमकी देने, मारपीट कर घायल कर देने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु०अ०सं०-175/24 धारा 323,504,506,304 भादवि बनाम 03 व्यक्तियों नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर दीप नारायण के नेतृत्व में उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह का० रामचरन प्रजापति, का० प्रवीन रावत, म०का० वन्दना चौहान, म०का० शबनम चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मु०अ०सं०-175/24 धारा 323,504,506,304 भादवि से संबंधित अभियुक्त व अभियुक्ता 1- मनोज पुत्र पन्नलाल निवासी ग्राम मंहगू का पूरवा कुशाहिलडिह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 2- रूबी पत्नी सनोज निवासी ग्राम मंहगू का पूरवा कुशाहिलडिह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरेधनऊ बाजार चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1- मनोज पुत्र पन्नलाल निवासी ग्राम मंहगू का पूरवा कुशाहिलडिह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- रूबी पत्नी सनोज निवासी ग्राम मंहगू का पूरवा कुशाहिलडिह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह का० रामचरन प्रजापति, का० प्रवीन रावत, म०का० वन्दना चौहान, म०का० शबनम चौहान थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

3- थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

—एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगातार है जारी ।

—एनडीपीएस एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

—थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर नई बाजार जाने वाले मोड़ के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

प्रतापगढ़-

दिनांक 19.02.2023 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम दांदूपुर में आरोपीगणों द्वारा अपने दरवाजे पर स्थित खेतों में अफीम की अवैध खेती करने के प्रकरण में थाना रानीगंज पर मु०अ०सं० 52/2023 धारा 8बी/18सी एनडीपीएस एक्ट बनाम 13 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया था। उक्त अभियोग में पूर्व में 04 आरोपीगणों को जेल भेजा जा चुका है।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह थाना रानीगंज के नेतृत्व में उ०नि० दीपक कुमार मय हमराह का० रंजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों/ तलाश वांछित, वारण्टी चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज मे पंजीकृत मु०अ०सं० 52/2023 धारा 8बी/18सी एनडीपीएस एक्ट के संबंधित वांछित 01 अभियुक्त निजाम पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम दांदूपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर नई बाजार जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

निजाम पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम दांदूपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -

उ०नि० दीपक कुमार मय हमराह का० रंजीत कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

4- थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

-थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ०नि० अजीत सिंह मय हमराह का० सोनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ० संख्या-123/1999 धारा 399,402,307 भादवि थाना पट्टी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त दयाराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम सलाहपुर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

दयाराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अजीत सिंह मय हमराह का० सोनू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।